न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–04/2018–19

मसीचरण बास्की बगैरह
बनाम
अगस्टीन मरांडी वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता मसीचरण बास्की, पिता– स्व0 गिरिश बास्की एवं दत्तक पुत्र पिता–स्व बुद्धराय हेम्ब्रम एवं रूबेन बास्की, पिता–स्व0 गिरिश बास्की, दोनों का सा0–राधाकिष्टोपुर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–40/2017-18 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–55/2017-18 एवं पी0ए0 वाद सं0–06/2017-18 संलग्न) में दिनांक–04.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अगस्टीन मराण्डी, पिता–स्व0 बड़का मराण्डी, सा0–राधाकिष्टोपुर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ एवं 16 आना रैयत मौजा–राधाकिष्टोपुर को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल महेशपुर के मौजा–राधाकिष्टोपुर के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु तीन आवेदकों (1) अगस्टीन मराण्डी (इस वाद के उत्तरवादी सं0–01) (2) रूबेन बास्की एवं (3) मसीचरण बास्की (क्र0 02 एवं 03 इस वाद के अलीपलकर्त्ता) द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0–40/2017-18 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–55/2017-18 एवं 06/2017-18 संलग्न) में सुनवाई की गई एवं दिनांक 04.12.2018 को पारित आदेश द्वारा SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत अगस्टीन मराण्डी (उत्तरवादी सं0–01) को मौजा–राधाकिष्टोपुर का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उत्तरवादी सं0–01 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा इस वाद में न तो स्वयं और न ही अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी की गई। अतः वाद को एक पक्षीय सुना गया।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दायर अपील आवेदन के अनुसार मौजा–राधाकिष्टोपुर एक प्रधानी मौजा है तथा चांद बास्की उक्त मौजा के खतियानी प्रधान थे। चाँद बास्की की मृत्यु नावल्द हो जाने के बाद उनके अपने भाई छोटो बास्की द्वारा प्रधान का कार्य किया गया। छोटो बास्की की दो पुत्रियाँ माइके बास्की एवं श्रीफूल बास्की हुई। माईके

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

बास्की की शादी साधारण रीति से धुधू मराण्डी के साथ हुई जिससे एक पुत्र बड़का मराण्डी हुए। बड़का मराण्डी के तीन पुत्र अगस्टीन मराण्डी (उत्तरवादी स0–01) सबास्टीन मराण्डी एवं इनुस्टीन मराण्डी हुए। उसी प्रकार श्रीफूल बास्की की शादी घर जमाई रीति से बुधराई हेम्ब्रम के साथ हुई। श्रीफूल बास्की एवं बुधराई हेम्ब्रम को अपना कोई संतान नहीं होने के कारण उनके द्वारा मसीचरण बास्की (अपीलकर्त्ता सं0–01) को गोद लिया गया। मसीचरण बास्की के जैविक पिता गिरीश बास्की थे जो चाँद बास्की एवं छोटो बास्की के गोतिया थे। अतः अपीलकर्त्ता का खतियानी रैयत चाँद बास्की के साथ संबंध है। छोटो बास्की की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी पुत्री माइके बास्की के द्वारा घर जमाई शादी का दावा कर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में प्रधान बहाली हेतु आवेदन दिया गया। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पी0ए0 वाद सं0–13/1986-87 में दिनांक 04.08.1987 को पारित आदेश द्वारा माईके बास्की को वंशानुगत आधार पर प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के पिता–गिरीश बास्की द्वारा उपायुक्त साहेबगंज के न्यायालय में रिविजन वाद दायर किया गया। जिसे अपर उपायुक्त के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया। अपर उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा दिनांक 09.10.1991 को पारित आदेश द्वारा द्वारा रिविजन/अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। गिरीश बास्की की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्रों रूबेन बास्की एवं मसीचरण बास्की (अपीलकर्त्तागण) द्वारा माननीय आयुक्त, दुमका के न्यायालय में रिविजन दायर किया गया जिसे RMR No-108/1991-92 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त वाद में दिनांक 13.06.2008 को पारित आदेश द्वारा रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया गया। माननीय आयुक्त, दुमका के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में WP (C) No-4757/08 दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में बड़का मराण्डी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्रों को उनके स्थान पर पक्षकर बनाया गया है। जिसमें उत्तरवादी सं0–01 भी एक पक्षकार है। बड़का मराण्डी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अगस्टीन मराण्डी (उत्तरवादी सं0–01) द्वारा तथ्यों को छुपाकर निम्न न्यायालय में वंशानुगत आधार पर प्रधान बहाली हेतु आवेदन किया गया एवं निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की सही विवेचना नहीं कर उत्तरवादी स0–01 को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त कर दिया गया।

निम्न न्यायालय को यह सूचित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है अतः प्रधान बहाली की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। परन्तु

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

निम्न न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। माईके बास्की की नियुक्ति घर जमाई शादी के आधार पर हुई थी जो गलत है। घर जमाई की पत्नी वैध उत्तराधिकारी नहीं होती है। उत्तरवादी सं0–01 की नियुक्ति में 16 आना रैयतों की सहमति नहीं ली गई है। गांव के रैयत उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं दिया गया।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–राधा किष्टोपुर एक प्रधानी मौजा है जिसके खतियानी प्रधान चाँद बास्की थे। चाँद बास्की की नावल्द मृत्यु के बाद उनका भाई छोटो बास्की विधिगत प्रधान नियुक्त हुआ। छोटो बास्की का प्रथम पत्नी से माईके बास्की एवं द्वितीय पत्नी से श्रीफूल बास्की नामक दो पुत्रियाँ हुई। प्रथम पुत्री माईके बास्की की शादी ढुडू मराण्डी के साथ घर जमाई रीति से हुआ। छोटो बास्की की मृत्यु के बाद माईके बास्की ग्राम प्रधान नियुक्त हुई। माईके बास्की की प्रधान नियुक्ति के विरूद्ध गिरीश बास्की एवं अन्य द्वारा माननीय उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में अपील/रिविजन दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया। पुनः माननीय आयुक्त, दुमका के समक्ष रिविजन दायर किया गया जिसे भी खारिज कर दिया गया। माननीय आयुक्त दुमका द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध गिरीश बास्की के पुत्र रूबेन बास्की द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में WP (C) No-4757/2008 दायर किया गया है जो वर्त्तमान में विचाराधीन है।

उनका आगे कहना है कि माईके बास्की की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र बड़का मराण्डी को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया एवं बड़का मराण्डी की मृत्यु के बाद उत्तरवादी सं0–01 को वंशानुगत आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया गया। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–13/86–87 में दिनांक 04.08.87 को पारित आदेश द्वारा माईके बास्की को वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध गिरीश बास्की एवं बुधराय हेम्ब्रम द्वारा

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

माननीय अपर उपायुक्त के न्यायालय में रिविजन/अपील 5/1988–89 एवं 19/1988–89 दायर किया गया जिसे संलग्न कर दिनांक 03.10.1991 को पारित आदेश द्वारा अपील एवं रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश को बरकरार रखा गया।

विज्ञ अपर उपायुक्त साहेबगंज के उक्त आदेश के विरूद्ध रूबेन बास्की एवं अन्य द्वारा विज्ञ प्रमण्डलीय आयुक्त के न्यायालय में RMR वाद 108/1991-92 दायर किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश द्वारा रिविजन वाद को अस्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध रूबेन बास्की द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP (C) No-4757/2008 दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है।

माईके बास्की के बाद उनका पुत्र बड़का मराण्डी की नियुक्ति ग्राम प्रधान पद पर पी0ए0 वाद सं0– 29/2004 में पारित आदेश द्वारा किया गया है। बड़का मराण्डी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अगस्टीन मराण्डी को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान पी0ए0 वाद सं0– 40/2017-18 में दिनांक 04.12.2018 को पारित आदेश द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं0–01 अगस्टीन मराण्डी अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान के पुत्र है तथा ग्राम प्रधान का कार्यालय वंशानुगत होता है।

निम्न न्यायालय द्वारा SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी सं0–01 की नियुक्ति ग्राम प्रधान पद पर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.06 13:14:29 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:95:b6bf:3557:abc9

Scanned with CamScanner